53 IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

25 JUL 2019

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437435

न्यास विलेख

गवाह की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता प्रवीण रावत, एड0

स्टाम्प 800/-

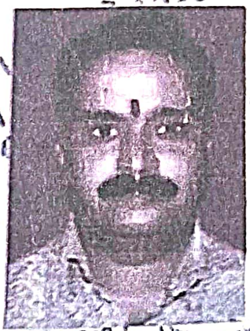

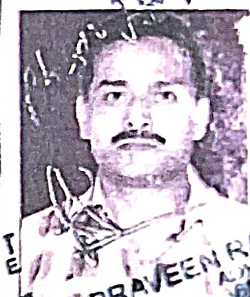

PRAVEEN RAWAT ADVOCATE Reg. No.-3690/99 Ch. No. B-1, DCF Market Court Compound Moradabad

यह सार्वजनिक पारमर्थिक न्यास विलेख दिनांक 27.07.2019 को निम्न के बीच निष्पादित किया गया-

श्री रविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0- 244301

जिन्हे इसके पश्चात न्यास लेखक संबोधित किया गया है, (जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो, इने कार्यपालकों, प्रंशासको एवं प्रतिनिधियों को शामिल माना जाएगा)

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

25 JUL 2019

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437442

न्यास के संचालन हेतु निम्न न्यासियों की नियुक्ति की जाती है।

1. श्री रविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0– 244301
2. श्रीमति वीना देवी पत्नी श्री रविन्द्र पाल निवासनी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0– 244301
3. श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0–244301
4. श्रीमति राखी राघव पत्नी श्री ब्रजेश कुमार निवासनी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0–244301
5. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री धन्नू सिंह निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0– 244301

जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से न्यासी/न्यासियों संबोधित किया गया है। (जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो, वर्तमान में कार्यरत न्यासी या न्यासियों को तथा इनके बाद पश्चातवर्ती पद धारण करने वालों को शामिल माना जायेगा।)

राखी राघव

मुकेश कुमार

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

25 JUL 2019

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437443

जबकि न्यास लेखक उक्त न्यासियों के साथ सार्वजानिक पारमार्थिक उदेश्यों के लिये एक न्यास स्थापित करने की इच्छा रखते है और जबकि न्यासियों ने न्यास लेखक के निवेदन पर इस विलेख के अधीन पक्षकार बनकर न्यासी के रूप में कार्य करने की सहमति दी है और इस विलेख को क्रियान्वित कर रहे है। और जबकि इस विलेख के अधीन गठित किये जाने वाले सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास के उदेश्यो और शर्तो की घोषणा करना आवश्यक है।

यह विलेख निम्न प्रकार साक्षी देता है कि -

अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति के लियें न्यास लेखक ने न्यासियों को रु 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की है। (जिसे इसके पश्चात न्यास निधि सम्बोधित किया जायेगा जिसमें नकदी अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा सभी प्रकार के निवेश/विनयोग शामिल माने जायेगें। जिनमे उक्त नकदी या उसके किसी भाग को समय समय पर रूपान्तरित किया जाता है, निवेश किया जाता है या बदल दिया जाता है अथवा न्यासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा इस विलेख के माध्यम से या इस विलेख के सम्बन्ध में किसी कानून के लागू होने के कारण या अन्यथा उनके हाथ में आता है को भी समाहित माना जायेगा।) तथा न्यासियों को उक्त राशि न्यास हेतु धारण करनी होगी एवं अपने कब्जे में रखनी होगी जो कि इसके पश्चात बतायी गयी शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों एवं घोषणाओं के अधीन होगी।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437444

1. न्यास का नाम - टी0 एच0 एस0 मैमोरियल चैरिटेबिल ट्रस्ट।
2. पंजीकृत कार्यालय - मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला सम्भल उ0प्र0-244301

जिसे समय समय पर न्यासियों द्वारा 3/4 बहुमत से निर्णय लेकर अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित किया जा सकेगा।

3. न्यास का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. न्यास पर लागू होने वाले अधिनियम- न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 एवं आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होगें। किन्तु विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रावधान/अधिनियम जो कि न्यास पर लागू होते हो लागू होगें।
5. न्यास के उददेश्य - न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होगें।

1 क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालयों, महाविद्यालय, तकनीकि संस्थानों, प्रबन्धकीय संस्थानों, कृषि संस्थान आदि की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

2 समाज में सद्भाव बनाये रखने तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को सदैव बढाने हेतु विचार गोष्ठियों, एवं सद्भावना सभाओं के द्वारा जन जन को जागरुक करना।

3 बच्चों एवं युवाओं में देशभक्ति की भावना तथा देशहित में कार्य करने का संदेश फैलाने का कार्य करना।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

25 JUL 2019

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437445

4 निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

5 पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण के प्रति समाज में जागरूकता लाना, अवैध कटान के प्रति समाज में जागरूकता लाना, विशेषकर बच्चों में वृक्षारोपण को बढावा देना, समाज को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से सचेत करना, वृक्षारोपण हेतु पौधशालाओं की स्थापना करना।

6 प्रदेश में जगह - जगह पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक उत्थान पर उपलब्ध साहित्य के पुस्तकालय विकसित करना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना ।

7 समस्त कार्यक्षेत्र में ग्राम स्तर पर समिति गठित कर पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्थान सम्बन्धी जानकारी देना और लोगो के विचारो में जाति पांति धर्मवाद व क्षेत्रवाद को भुलाकर सामाजिक व मानवीय विचारो को पैदाकर एक सुढ्ढ समाज की स्थापना करना और एक नये विचारों की क्रांति का सूत्रपान करना।

8 सामान्य जन मानस को परिस्थितिकी का ज्ञान उपलब्ध कराना एवं उसकी उपयोगिता बताकर पर्यावरण संरक्षण करना और प्रकृति के संसाधनों का उचित दोहन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना ।

9 पर्यावरण एवं सामाजिक उत्थान के लिए स्कूल- विद्यालयों महाविद्यालयों में गोष्ठियां कर उचित पाठ्यक्रम उपलब्ध करना और यह पाठ्यक्रम विश्वस्तरीय होगा जो आधुनिकतम खोजों पर आधारित होगा ।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437446

10 प्रत्येक लिंग एवं आयु वर्ग के सदस्यों की इस संस्थान में भागीदारी सुनिश्चित करना। एवं उनके स्वास्थय व प्राशिक्षण के लिए आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध कराना।

11 मानव जीवन को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाये प्रदान करने के लिये हॉस्पिटल, क्लीलिक, स्वास्थ्य केन्द्रो, प्रशिक्षण केन्द्रो, रिसर्च सेन्टरों इत्यादि की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

12 पर्यावरण संदूषित व सामाजिक बुराईयां उत्पन्न करने वाले लोगो के प्रति समाजिक चेतना जागृत करने का प्रयास करना।

13 प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक उत्थान को लेकर हो रहे कार्यो में सहयोग करना एवं राज्य स्तर पर हो रही सेमिनार व सभाओं में भाग लेना एवं अपनी परेशानियों से अवगत कराना एवं इसके उपाय ढूंढने का प्रयास करना।

14 वनों के विस्तार, उनके संरक्षण व वन्य जीव जन्तु के संरक्षण हेतु जनहित में समाज के लोगों में चेतना जगाने का प्रयास करना।

15 अनाथ बालक तथा बालिकाओं के लिये अनाथालय तथा बालिकाओं एवं बालकों के लिये धर्मार्थ चिकित्सालय विद्यालय चलाना जिसमें शिक्षा के साथ कृषि तथा खादी ग्रामोघोग का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा सके। इस प्रकार शिक्षा का जीवन उपयोगी बनाने के लिये कार्य चलाना।

16 ग्रामीण जनता को ग्राम स्वावलम्बन तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना इसके लिये ऐसे भी प्रभावी कदम उठाना जिससे सरकार की नीतियों को सही भावना के साथ जनता तक पहुंचा सके।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 437447

17 सामाजिक कुरूतियों को दूर करने एवं समाज में व्याप्त दूषित मानसिकता को दूर करने हेतु हर स्तर पर कार्य करना।

18 समाज के आर्थिक, सांमाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रयत्न करना तथा ग्रामोघोग को प्रोत्साहन देना व प्रशिक्षण देना, पुस्ताकलय, वाचनालय, आगंनबाडी, बालबाडी, स्वास्थ्य प्रमोद गृह प्रसुति गृह नारी कल्याण केन्द्र, वृद्वाआश्रम, विधवा आश्रम, निशुल्क उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, चिकित्सालय तथा सांस्कृतिक केन्द्र चलाना आदि।

19 बेरोजगारों एवं दुर्बल वर्गो के लिये रोजगार व्यवसाय रोजी विपणन सेवाआं की उपलब्धि व व्यवस्था का संचालन करने में सहयोग करना।

20 समाज के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु वे अवसर सृजन करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिये कृषि पशुपालन उद्योग तथा सेवाओं के लिये विकास योजनायें बनाना तथा कार्यक्रम को चलाना।

21 पशुओं के कल्याण हेतु स्वास्थ्य सेवायें संचल चिकित्सालयों एवं पशुओं की देख भाल के लिये आश्रम गृहों का निर्माण कर संचालन करना एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

22 महिलाओं एवं पुरूषों के स्वरोजगार हेतु सिलाई कढाई बुनाई, दरी व कालीन बुनाई पेंन्टिंग ब्यूटिशियन, व अन्य कुटीर उघोग धन्धों हेतु निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

28 JUL 2018

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EW 437448

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, डिजिटल इंडिया, मिशन पानी एवं कौशल विकास आदि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा इसमें अपना योगदान देना।

24 गरीब व जरूरतमंदो को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये मोबाइल डिस्पेंसरी की उचित व्यवस्था करना।

25 मानसिक रूप से कमजोर, डिप्रेशन आदि से पीड़ित व्यक्तियों की काउन्सलिंग कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना तथा युवक व युवतियों को आत्महत्या जैसे घातक कदम न उठाने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।

25 क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को जोड़ना तथा स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहन देना।

26 श्रीकृष्ण की इष्ट देवी गौमाता का जन-मानस के उद्धार के लिए एक भव्य गौ मन्दिर का निर्माण कराना जिसमें गौमाता जिनके अंग-2 में देवी-देवताओं का वास है जिनके बिना हिन्दू धर्म का हर शुभ कार्य अधूरा है जिनके गौमूत्र गोमय, घी, दूध, दही से जीवन रक्षक औषधियां प्राप्त होती है ऐसी परम पूज्य गौमाता का मन्दिर तथा गौशाला/गौशालाओं का निर्माण करा कर गौवंश का प्रचार प्रसार करना।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

27 महिला विकास कार्यक्रम एवं प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

28 निर्धन एवं असहाय छात्र छात्राओं आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करके ग्रामोघोगों की स्थापना के प्रयास करना ताकि वह स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सके। गरीब एवं विधवा बेसहारा औरतें की बेटियों की शादी में हर सम्भव सहयोग करना.।

29 कारीगरों के ग्रामोघोग आदि की शिक्षा एंव प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करके ग्रामोघोग की स्थापना के प्रयास करना ताकि वे स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सके।

30 विद्यालय छात्रावास वाचनालय संग्राहलय, वृद्वाआश्रम, व्यायामशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय तथा विकलांग शिविरों, प्रयोगशालो, आदि की स्थापना करना व संचालन करना।

31 कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।

32 अनाथ विकलांग बच्चों एवं असहाय महिलाओ/पुरूषों हेतु निशुल्क आवासीय व्यवस्था प्रदान करना तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा सरकारी व अर्द्सरकारी संस्थाओं से बाढ़ पीडित व अन्य किसी आपदा से पीडित व्यक्तियों को सहायता प्राप्त कराना।

33 सामूहिक क्रियाकलाप एवं जनचेतना शिविरों का आयोजन करना।

34 बेरोजगार/शिक्षित बेरोजगार युवकों/युवतियों का लघुउघोग की स्थापना हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

35 समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग, बोर्ड, कपाट, सिपसा, अवार्ड, नवार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय यूनिसेफ इत्यादि के सहयोग से महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों एवं अन्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं संचालन करना।

36 कुष्ठ उन्मूलन परिवार कल्याण पल्स पोलियों एड्स कार्यक्रमों संचालन करना व प्रसार करना।

37 मध निषेध तथा नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा नशामुक्ति केन्द्रो की स्थापना करना।

38 समाज के उत्थान में तथा इस तकनीकी युग में कम्प्यूटर शिक्षण व प्रशिक्षण पर सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना।

39 निःशक्त दिव्यागं व्यक्तियों का भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिये शैक्षिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संचालित करना।

40 पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नगर गांव तथा कस्बा कर पार्क में वृक्षारोपण करना तथा उनकी सुरक्षा करना।

41 कुष्ठ उन्मूलन परिवार कल्याण पल्स पोलियों एड्स कार्यक्रमों संचालन करना व प्रसार करना।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

42 मध निषेध तथा नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

43 टीचर्स एजूकेशन कोर्स की मान्यता के लिये एन0सी0टी0ई (नेशनल कॉउसिंल फॉर टीचर एजूकेशन) में आवेदन करना तथा मान्यता प्राप्त होने पर कोर्स को संचालित करना।

44 समान विचार धारा के ट्रस्टो, संगठनों, संस्थाओं तथा सरकारी गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में चलाये जा रहे कार्यो में सहयोग करना।

45 न्यास अलाभकारी (नॉट फॉर प्रोफिट) सिद्वान्त पर कार्य करेगा।

6. न्यास निधि-

अ- न्यास निधि में प्रारंभिक निधि से होने वाली आय से तथा साथ ही साथ समय समय पर प्राप्त होने वाली दान राशि, अन्य अंशदान, चन्दे आदि से बढोत्तरी की जा सकती है।

ब- न्यास निधि का प्रयोग न्यास के उदेदश्यों के अतिरिक्त कही और नही किया जा सकेगा।

स- न्यासी हमेशा न्यास के आय व्यय के समुचित लेखे (हिसाब किताब) बनाकर न्यास के कार्यालय में रखेंगें।

7. **निवेश**- सभी धन जिसकी कोई तात्कालिक जरूरत न हो ऐसे धन को न्यासी बोर्ड की सहमति से बैक्र, प्रतिभूति अथवा अन्य में निवेश करना। निवेश, आय, व्यय आदि केवल न्यास के नाम से ही किये जायेंगें।

8. **न्यास का प्रबंधन**- न्यास का प्रबंधन न्यासी बोर्ड के द्वारा किया जायेगा -

1. न्यासी बोर्ड - न्यासी बोर्ड में न्यासियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी व बढायी जा सकेगी किन्तु यह संख्या कभी भी 2 से कम नही रहेगी। यह संख्या न्यासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर 3/4 न्यासियों के बहुमत से बढाई जा सकती है तथा न्यासी बोर्ड में अलग से संरक्षक मण्डल का गठन किया जायेगा जिसमें समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिशिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा किन्तु संरक्षक मण्डल को न्यासी बोर्ड में मताधिकार प्राप्त नही होगा।
2. न्यास की स्थापना के समय के न्यासियों को फाउन्डर न्यासी कहा जायेगा तथा फाउन्डर ट्रस्टिंयों के द्वारा न्यासी बोर्ड में और भी न्यासी शामिल किये जा सकेते है।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

3. निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न पद दिये जाते है -

क्र0सं0	व्यक्तियों के नाम	पद
1.	श्री रविन्दर पाल सिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमति राखी राघव	उपाध्यक्ष
3.	श्री ब्रजेश कुमार	सचिव
4.	श्रीमति वीना देवी	कोषाध्यक्ष
5.	श्री मुकेश कुमार	सदस्य

9 न्यास के अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य -

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
3. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
4. न्यास में कर्मचारियों की नियुक्ति या निष्कासन का अधिकार न्यास के अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
5. मौजूदा न्यास डीड में कोई परिवर्तन करने या कोई शर्त कम करने या नई शर्त बढ़ाने का पूरा अधिकार अध्यक्ष को होगा।
6. किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
7. संस्था के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
8. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
9. संस्था हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।

10.न्यास के उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य -

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा सौपें गये कार्य करना।

11.न्यास के सचिव के अधिकार व कर्त्तव्य-

1. अध्यक्ष की अनुमति से न्यासी बोर्ड की बैठक का एजेन्डा जारी करना व बैठक का प्रबन्ध कराना।
2. न्यास का पत्र व्यवहार/समस्त कागजात तैयार कराना।
3. न्यास के समस्त हिसाब किताब की रिपोर्ट पेश करना।
4. न्यास व न्यास से सम्बन्धित संस्थाओं के बारे में आवश्यक कार्यवाही करना।

12.न्यास के कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य

1. न्यास के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. अध्यक्ष व सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

13.न्यासी बोर्ड के अधिकार एवं कर्त्तव्य-

1. न्यासी प्रत्येक तीन महीने में न्यास की बैठकें आयोजित करेंगें। आवश्यकता होने पर न्यास की बैठक कभी भी एक दिन की सूचना पर बुलायी जा सकती है।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

2. न्यासियों को न्यास के कार्यों / गतिविधियों को संचालित करने हेतु न्यास द्वारा समय समय पर बनाये एवं स्वीकार किये गये नियम एवं नियमन आदि का पालन कठोरता से करना होगा।
3. किसी व्यक्ति/ किन्ही व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों ./निकाय या न्यास/समिति/संस्थानों से सशर्त या बिना शर्त कोई दान, अंशदान, अनुदान या चन्दा (जो नगद या वस्तु रूप में हो सकता है) स्वीकार करना।
4. न्यास की सम्पूर्ण आय या उसके किसी भाग को या न्यास निधि या उसके संचायन को न्यास के किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों हेतु, जैसा कि न्यासी अपने स्वविवेक से उचित समझे, प्रयोग करना।
5. किसी समय विशेष पर न्यास सम्पत्ति और /अथवा किसी निवेश को रूपान्तरित करना या उसमें लेन देन करना।
6. न्यास निधि को अचल सम्पत्ति अथवा शेयरों (अंश पत्रो), स्टॉक अथवा डिबेंचरो (ऋण पत्रों) अथवा किसी वित्तीय प्रतिभूति या विनयोग में निवेश करना या किसी कम्पनी/बैंक/फर्म या अन्य किसी व्यक्ति को ऋण देना या के पास जमा (निक्षेप) के रूप में रखना एवं न्यासियों द्वारा स्वविवेक से ऐसे निवेशों में परिवर्तन या बदलाव या स्थान्तरण करना, जो कि न्यास के अधिकतम हित में हो।
7. धन उधार लेना अथवा भुगतान को सुरक्षित करना तथा साथ ही पर्याप्त प्रतिभूती (जमानत) मिलने पर उधार देना।
8. न्यास निधि के रूप में समाहित किसी अचल सम्पत्ति को किराये या भाड़ें पर उठना, हस्तान्तरित करना।
9. न्यास एवं न्यासियों अथवा न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के नाम में बैंक /बैंकों में खाता/खाते खोलना। ऐसे खाते/खातों का परिचालन करना एवं बैंको को निर्देश देना तथा एक या एक से अधिक न्यासियों द्वारा अथवा न्यासियों द्वारा नियुक्त अभिकर्ता द्वारा ऐसे खाता/खाते को खोलने और परिचालित करने हेतु प्रावधान करना।
10. न्यास निधि से सम्बन्धित सभी वाद एवं दावों एवं मांगों एवं कार्यवाहियों का समायोजन एवं निपटान एवं सुलह अथवा पंचनिर्णय हेतु सौंपना।
11. न्यास यदि विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/व्यवसायिक कोर्स आदि शिक्षण संस्थान की स्थापना करना चाहता है तो उसके लिये गठित प्रवन्धकार्यकारिणी समिति के फाउन्डर न्यासी शामिल होगें जिनमें से एक अध्यक्ष/चैयरमेन होगा, संस्थान के समस्त अधिकार संस्थान के अध्यक्ष/चैयरमैन में निहित होगें।
12. विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/व्यवसायिक कोर्स आदि शिक्षण संस्थान के लिये किसी प्रचार्य /प्रोफेसर/निदेशक/कुलपति /उपकुलपति/कुलाधिपति की नियुक्ति का अधिकार केवल फाउन्डर न्यासियों को ही होगा।

Manager
Shagun Academy
... Sardar Shahpur Chamaran
Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

13. विधिक अधिवक्ताओं /प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना तथा इस विलेख के अधीन ऐसे वकीलों/प्रतिनिधियों को समय समय पर एक या एक से अधिक अधिकार प्रदान करना तथा ऐसे वकीलों या प्रतिनिधियों को हटाना तथा उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति करना।

14. न्यासियों द्वारा विनिर्दिष्ठ नियमों एवं नियमनों तथा रीति के अधीन न्यास के प्रशासन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति (इसमें सभी न्यासी एवं समितियाँ अथवा प्रशासक अथवा प्रबंध न्यासी या अन्यथा भी शामिल हैं) की नियुक्ति करना अथवा नियुक्ति के प्रावधान बनाना।

15. न्यासियो द्वारा विनिर्दिष्ठ नियमों एवं नियमनो तथा रीति के अधीन इस न्यास विलेख के प्रावधानों की शर्तो के अनुरूप किसी कोष अथवा निवेश की धारण करने के लिये पृथक न्यासियों की नियुक्ति अथवा उनकी नियुक्ति का प्रावधान करना।

16. न्यास के उदेश्यों की प्राप्ति के लिये योजनाओं, नियमों एवं नियमनों को बनाना उनमें समय समय पर परिवर्तन एवं संशोधन करना।

17. न्यास के कार्यो के प्रबंधन एवं/अथवा उसके उदेश्यों की प्राप्ति के लिये किसी संस्थान/संगठन का संचालन करने अथवा अन्यथा रूप में उसके उदेश्यों को प्रभावी बनाने हेतु योजनाओं नियमों एवं नियमनों को बनाना, उसमें समय समय पर परिवर्तन एवं संशोधन करना।

18. आम जनता के लाभ हेतु किसी पारमर्थिक संस्थान को प्रारंभ करना, बन्द करना एवं पुनःप्रारंभ करना तथा उनके द्वारा दी जाने वाली किसी दान अथवा चंदे की राशि पर शर्ते लगाना।

19. न्यास के किसी भी उददेश्य के लिये न्यास की सम्पूर्ण आय अथवा उसके किसी अंश को अथवा न्यास निधि के संचय(कॉर्पस) अथवा उसके किसी अंश को अलग करके रखना एवं /अथवा आंवटित करना।

20. न्यासियों द्वारा स्वविवेक से उचित मानी गयी शर्तो एवं निबन्धनों (विशेष रूप से इस न्यास के उदेश्यों और स्वभाव से अनुरूपता को ध्यान में रखते हुये) के अधीन अपने न्यास को समान उदेश्य वाली किसी अन्य न्यास/न्यासों से जोडना, समन्वित करना अथवा उसमें इसको एकीकृत करजा।

21. विभिन्न पारमर्थिक संस्थानों, समितियों, संगठनों अथवा न्यासों, जो इस विलेख में दर्शाये गये समान उदेश्यों के लिये पहले से स्थापित किये जा चुके है अथवा आगे कभी स्थापित किये जायेंगे, को न्यास की आय से अथवा न्यास निधि के संचय से दान रूप में सहायता प्रदान करना ताकि ऐसे संस्थान/समितियां संगठन अथवा न्यास पारमार्थिक उदेश्यो को प्रारम्भ कर सकें, जारी कर सकें अथवा प्राप्त कर सकें।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

22.सभी खातों का निपटारा करना एवं सुलह करना, हिसाब चुकता करना, त्याग देना अथवा किसी वाद या कार्यवाही या विवाद, दावे, मांग को पंचनिर्णय के लिये सौपना जो कि इस सम्बन्ध में उचित माना गया हों, (उससे हो सकने वाले नुकसान के प्रति जिम्मेदार हुये बिना)

23.इस विलेख में निर्दिष्ठ सभी अथवा किसी एक उदेश्य के लिये न्यास निधि में समाहित किसी सम्पत्ति (जिसमें जमीन भवन इत्यादि शामिल है) को प्रतिभूति (जमानत) के रूप में रखकर बैंक/समिति/सरकार/संस्थान व अन्यों से ऋण लेना तथा न्यासियों के लिये यह विधिमान्य होगा कि वे ब्याज पर अथवा अन्यथा स्वविवेक से उचित शर्तो पर ऐसे ऋण प्राप्त कर सकें व ब्याज सहित उक्त ऋण को वापिस कर सकें।

24.सरकार, सार्वजनिंक निकाय, नगर निगम/नगर पालिका एवं अन्य स्थानीय निकाय, निगम, कम्पनी, अथवा व्यक्तियों को न्यास के उदेश्यों की प्रप्ति को ध्यान में रखते हुये धन, सहायता, उपहार, चंदा तथा अन्य सहयोग प्रदान करने के लिये आवेदन करना व ऋण प्राप्त करना।

25.शासकीय विभागों, सार्वजनिक एवं अन्य निकायों, निगमों, कम्पनियों अथवा व्यक्तियों के साथ न्यास के उदेश्यों से सम्बन्ध की योजनाओं, विषयों अथवा कार्यो के बारे में विचार विमर्श करना तथा उनके द्वारा आरोपित उचित शर्तो की पुष्टि करना जिस पर उनके अनुदान अथवा अन्य भुगतान प्राप्त किये जा सकते हो।

26.समान उदेश्यों वाले अन्य पारमार्थिक न्यास, समितियों, संघ, संगठन अथवा संस्थान का अधिग्रहण करना या उनके साथ एकीकरण करना।

27.न्यास अथवा समान उदेश्यों वाले अन्य न्यास वाले या उसकी शाखाओं की किसी शाखा की स्थापना , प्रोत्साहन, प्रंबध अथवा अनुरक्षण करना अथवा उसकी स्थापना करना, प्रोत्साहन, प्रंबध अथवा अनुरक्षण के लिये सहायता प्रदान करना तथा इस न्यास को अन्य किसी न्यास के साथ संम्बद्ध करना या एकीकरण करना।

28.उचित शर्तो और निबन्धनो के अधीन इस न्यास के उदेश्यों से पूर्ण /आंशिक समानता रखने वाले किसी विद्यमान संस्थान या संस्थानों का अधीनीकरण, अधिग्रहण, प्रंबध, नियन्त्रण करना अथवा उसे सहायता देना।

29.एक या एक से अधिक न्यासों, समितियों, संस्थानों, संघों, संगठनों (जिनके साथ एकीकरण के लिये न्यास को प्रधिकार प्राप्त है) को क्रय करना अथवा अन्यथा उनका अधिग्रहण करना एवं उनकी सम्पूर्ण या आंशिक सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, देयतायें एवं अन्य समान अपने हाथ में ले लेना।

30.इस न्यास की सम्पूर्ण या आंशिक सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, देयतायें एवं अन्य समान एक या एक से अधिक न्यासों समितियों, संस्थानों संघों संगठनों (जिनके साथ एकीकरण के लिये न्यास को प्रधिकार प्राप्त है) को अंतरित करना।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

14.न्यास के लिए धन का इंतजाम-

न्यास के प्रत्येक न्यासी को न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि वार्षिक रूप से न्यास को देनी होगी तथा भविष्य में यदि अन्य न्यासी नियुक्त किये जाते है उनके लिये भी न्यासी बोर्ड एक निश्चित धन राशि वार्षिक रूप से देने हेतु निर्धारित करेगा। न्यास के लिए धन का इंतजाम दान, चंदा व ट्रस्ट की सम्पत्ति के इस्तेमाल से होने वाली आय से किया जायेगा। न्यासियों को धन का इंतजाम करनें के लिए न्यास की जायदाद को बैंक आदि में रहन/बन्धक रखकर कर्ज लेने का अधिकार होगा लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर्ज की रकम न्यास के उद्देश्यों के लिए खर्च करना जरूरी होगा।

15.न्यास के लिये आयकर अधिनियम 1961 व 80 जी विशेष प्रवधान -

यह विशेष रूप से घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित नियम व शर्ते इस न्यास विलेख का मुख्य भाग है-

यह कि न्यास को होने वाले लाभ और न्यास के फण्ड का उपयोग केवल उन्ही सीमाओं एवं प्रतिबन्धों के उपयोग के अर्न्तगत किया जायेगा जो आयकर अधिनियम 1961 या वैल्थ ट्रैक्स अधिनियम 1957 या कोई अन्य अधिनियम जिस पर आयकर अधिनियम के प्रविधान लागू होते हो किया जायेगा।

यदि उक्त आयकर अधिनियम 1961 या वैल्थ ट्रैक्स अधिनियम 1957 में कोई संशोधन होता है या भविष्य में कोई अन्य अधिनियम आता है तो उसके नियम व शर्ते न्यास पर लागू होंगे।

यह कि इस न्यास पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी या अन्य कोई समान नियम जो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तगर्त आते है लागू होगें।

16. फाउन्डर न्यासियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य-

1. फाउन्डर न्यासी न्यास के इंतजाम व उसके चलाने में अध्यक्ष की मदद करेंगे।
2. कोई भी फाउन्डर न्यासी न्यास के उद्देश्यो व नियमों के विरूद्ध कोई काम नही करेगा।
3. फाउन्डर न्यासियों को न्यास की मीटिंग में शिरकत करना जरूरी होगा।

17.न्यासियों की आयोग्यता व उन्हे निकाला जाना

1. यदि उसका निधन हो जाता है।
2. यदि उसे न्यायालय द्वारा दीवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा नैतिक पतन के अरोप में दोषी पाया जाता है।
3. यदि उसे न्यास के हितों के विरूद्ध कार्य करते हुये पाया जाता है।
4. यदि वह लगातार होने वाली न्यासियों की तीन बैठकों में अथवा एक कलैण्डर वर्ष के लिये बिना छुट्टी का आवेदन दिये अनुपस्थित रहता है, अथवा

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Page 15 of 18

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

आवेदन सं०: 201900721014605

न्यास पत्र

वही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 53 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 300

श्री रविन्द्र पाल सिंह ,
पुत्र श्री हरपाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी : निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल उत्तर प्रदेश
244301

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 27/07/2019 एवं 03:48:51 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार विश्नोई प्रभारी
उप निबंधक :सम्भल
सम्भल
27/07/2019

, रणधीर सिंह, राकेश बाबू,
निबंधक लिपिक

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

5. यदि उसे शेष न्यासियों के 3/4 अथवा निकटतम बहुमत द्वारा त्याग पत्र देने के लिये निवेदन किया जाता है।
6. यदि कोई फाउन्डर न्यासी / न्यास को छोड़ना चाहता है तो उसके इस्तीफे को मन्जूर करने का हक न्यास के अध्यक्ष को होगा।
7. न्यास के सदस्यों में से कोई सदस्य न्यास के उद्देश्यो व नियमों के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेंगा अगर बार-बार वह ऐसा करता है तो उसको न्यास से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

18.न्यास की बैठक -

न्यास की बैठक हर तिमाही न्यास के कार्यालय पर या अन्य स्थान पर जैसे न्यासीज निश्चित करे की जायेगी जिसकी तारीख की सूचना सभी न्यासियों को एक सप्ताह पहले दे दी जायेगी। न्यास के द्वारा विशेष बैठक का आयोजन कभी भी एक दिन पहले सूचना भेजकर भी की जा सकती है।

19.न्यास का बैंक खाता-

न्यास का खाता किसी राष्ट्रकृत बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राईवेट बैंक या किसी भी मान्यता प्राप्त बैक/बैंकों में न्यास के नाम से खुलवाया जायेगा खाते का संचालन अध्यक्ष व सचिव के द्वारा अथवा इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा।

20.न्यास की सम्पत्ति की बिक्री-

कोई सम्पत्ति जो न्यास द्वारा खरीदी जाये व सम्पत्ति यदि भविष्य में न्यास के इस्तेमाल की न रहे या न्यास के इस्तेमाल के लिए छोटी पड़ जाये या न्यास के द्वारा किये जा रहे काम के लिए अन्य किसी जगह न्यास के कार्यालय या इंस्टीट्यूशन को बदला जाना जरूरी है तो न्यास के अध्यक्ष को फाउन्डर न्यासियों की सहमति से न्यास की जायदाद को बेचने का हक होगा लेकिन जायदाद बेचकर हासिल पैसा हर सूरते हाल में न्यास के लिए जायदाद खरीदने या न्यास के किसी अन्य मकसद में खर्च करना होगा। अपने इस्तेमाल में लाने का अध्यक्ष या न्यासियों को कोई अधिकार न होगा।

21.खाता व अंकेक्षण -

न्यास का हिसाब किताब के लिये उचित खाते बही रखे जायेंगें जिनका वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) न्यासी बोर्ड द्वारा अधिकृत चार्टड एकाउन्टेट के द्वारा किया जायेगा।

22.रिक्तियां एवं रिक्तियों की पूर्ति -

फाउन्डर न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति उनके परिवारजनो अथवा विधिक उत्तराधिकारियों में से होगी तथा अन्य न्यासियों की नियुक्ति न्यासी बोर्ड के द्वारा की जायेगी।

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

आवेदन सं०: 201900721014605

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 53 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रविन्द्र पाल सिंह, पुत्र श्री हरपाल सिंह

निवासी: निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल उत्तर प्रदेश 244301

व्यवसाय: अन्य

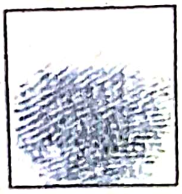

न्यासी: 2

श्रीमती वीना देवी, पत्नी श्री रविन्द्र पाल

निवासी: निवासनी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल उत्तर प्रदेश 244301

व्यवसाय: गृहिणी

न्यासी: 3

श्री ब्रजेश कुमार, पुत्र श्री हरपाल सिंह

निवासी: निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल उत्तर प्रदेश 244301

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 4

श्रीमती राखी राघव, पत्नी श्री ब्रजेश कुमार

निवासी: निवासनी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल उत्तर प्रदेश 244301

व्यवसाय: गृहिणी

राखी राघव

न्यासी: 5

श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री धन्नू सिंह

निवासी: निवासी मिलक शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल उत्तर प्रदेश 244301

व्यवसाय: अन्य

मुकेश कुमार

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

23. न्यास विलेख में संशोधन - न्यास विलेख में संशोधन का अधिकार न्यासी बोर्ड को ही होगा जो 3/4 बहुमत के आधार पर न्यास विलेख में संशोधन कर सकते है।

24. न्यास का विघटन - भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अर्न्तगत किया जायेगा।

25. इस विलेख में दर्शायी एवं समाहित शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों तथा घोषणाओं (ऐसे न्यास निधि के हस्तारंण के परिणाम स्वरूप एवं आवश्यक होने पर किये गये संशोधनों के अधीन) के साथ न्यास को किसी अन्य समिति, निगम, संस्थान, न्यास, संघ अथवा संगठन को अतरित करना एवं सौंपना, जैसा कि न्यासियों को अपने स्वविवेक से उचित लगें इस विलेख के न्यासी, न्यास निधि के अंतरण होने से न्यास से भार मुक्त / पदमुक्त हो जायेगें।

26. न्यासी केवल उसी धन, स्टॉक, शेयर एवं कोषों के लिये उत्तरदायी होगें जो वास्तविक रूप से उनके हाथ में आयेंगें। एक न्यासी किसी अन्य न्यासी, बैंकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसके पास न्यास में सम्पत्तियां अथवा प्रतिभूतियां जमा की हो या रखी हो, की गलती, कार्य या हीनता या कमी या त्रुटि के लिये उत्तरदायी या जवाबदार नही ठहराये जायेगें न्यासियों का पारिश्रामिक प्राप्त करने का अधिकार नही होगा।

27. न्यासियों की संख्या दों से कम नही होगी यदि कभी न्यासियों की संख्या 2 से कम हो जाती है तो शेष न्यासी (सिवाय किसी रिक्त को भरने के) तब तक कार्य नही करेंगे जब तक की संख्या न्यूनतम से कम है।

28. वर्तमान प्रबंध न्यासियों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त संख्या की सीमा में रहतें हुये एक अवधि के लिये अतिरिक्त न्यासियों को सेवानिवृत्ति अथवा पुननियुक्ति की शर्तो का ध्यान में रखते हुये नियुक्त कर सकें जैसा कि वह इस सम्बन्ध में उचित समझे।

29. न्यासी समय समय पर न्यासियों की बैठकों के नियमन व संचालन के लिये नियम बना सकते है ऐसे नियमन न होने पर -
    1. न्यासियों की एक बैठक में तीन न्यासियों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) मानी जायेगी
    2. न्यासियों द्वारा सभी विषय आपसी विचार विमर्श से निपटायें जायेगें।
    3. बिना बैठक किये सर्कुलेशन से पारित संकल्प को न्यासियों की वास्तविक बैठक की तरह ही वैद्य और प्रभावी माना जायेगा। यदि (3/4) न्यासी लिखित रूप में देतें है।

30. न्यासी को संशय की स्थिति में यह निर्धारण करने का अधिकार होगा कि परमार्थ के लिए किसी धन या संपत्ति को पूंजी या आय माना जाये कि नही और ऐसी आय में से कोई व्यय चुकाया ही जाये या नही, और ऐसा निर्धारण बाध्यकारी एवं अंतिम निर्णय होगा न्यासियों को इस विलेख में प्राधिकृत किये

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजेंद्र सिंह , पुत्र श्री चेतराम सिंह

निवासी: निवासी शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री उमेश पाल सिंह , पुत्र श्री सोमपाल

निवासी: निवासी शाहपुर चमारान तहसील व जिला संभल

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :रविन्द्रपाल सिंह आ० सं० ६९६१०९५२८१५३

प्रदीप कुमार विश्नोई प्रभारी
उप निबंधक : सम्भल
सम्भल

, रणधीर सिंह, राकेश बाबू,
निबंधक लिपिक

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

आवेदन सं०: 201900721014605

बही संख्या 4, जिल्द संख्या 199 के पृष्ठ 133 से 168 तक क्रमांक 53 पर दिनाँक 27/07/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सम्भल
सम्भल
27/07/2019

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

गये उदेश्यों के अलावा अन्य कही भी न्यास-निधि या उसके संचय को खर्च करने का अधिकार नही होगा।

31. न्यास एवं न्यास निधि हमेशा के लिये अखण्डनीय रहेगें।

यहॉ यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की सम्पत्ति अथवा उसकी आय या उसमें हुयी बढोत्तरी के किसी भी अंश को ऐसे किसी भी उददेश्य के लिये इस्तेमाल नही किया जायेगा। जो कानून के अनुसार पारमार्थिक या धर्मादय उद्देश्य नही है। न्यास के कोष का उपयोग केवल न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिये किया जायेगा अन्यथा नही।

नोट - न्यास के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है केवल रु 10,000/- ट्रस्ट फण्ड के रूप में हैं।

दिनांक -

न्यास लेखक

गवाह

[redacted]

PRAVE[redacted]
Reg.
Ch. No. B-
Court Compound Moradab[redacted]

1- राजेन्द्र सिंह पुत्र चेतराम सिंह
नि० शाहपुर चमारान सम्भल

2- उमेशपालसिंह पुत्र सोमपाल
नि० शाहपुर चमारान सम्भल

उमेशपालसिंह

PRA...
Reg. No...
Ch. No. B-1, DCF ...
Court Compound Moradabad

न्यासीगण

1. श्री रविन्दर पाल सिंह

2. श्रीमति राखी राघव राखी राघव

3. श्री ब्रजेश कुमार

4. श्रीमति वीना देवी Veena

5. श्री मुकेश कुमार

नोट- इस न्यास विलेख को आज दिनांक 27.07.2019 को प्रवीन रावत एडवोकेट, मुरादाबाद के द्वारा ड्राफ्ट किया गया तथा फोटो सत्यापित किये गये।

PRAVEEN RAWAT
ADVOCATE
Reg. No-3690/99
Ch. No. B-1, DCF Market
Court Compound Moradabad

Manager
Shagun Academy
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)

Principal
SHAGUN ACADEMY
Milak Sardar Shahpur Chamaran
P.O. Rahtaul (Sambhal)